

परियोजना का नाम:- कुनारा - पासा नहर निर्माण कार्य
परिशिष्ट
(देखिये नियम-6)
फार्म 'क'

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1- परियोजना विवरण:-

1	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण	:-	सिंचाई निर्माण खण्ड, पुरोला तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी
	(i) 1:50000 स्केल पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	:-	मैप संलग्न है।
	(ii) परियोजना की लागत	:-	104.00 लाख
	(iii) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	:-	सिंचाई व्यवस्था
	(iv) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	:-	लागू नहीं
	(v) रोजगार जिसके पैदा होने की सम्भावना है।	:-	11000 मानव दिवस सृजित होंगे
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार यदि कोई है।	:-	नहीं
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई हो	:-	योजना के निर्माण से कोई परिवार/व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा।
	(i) परियोजना की संख्या	:-	-----रिक्त-----
	(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	:-	-----रिक्त-----
	(iii) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	:-	-----रिक्त-----

परियोजना का नाम:- कुनारा - पासा नहर निर्माण कार्य

4	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हाँ/नहीं)	:-	नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता संलग्न की जाय।	:-	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	:-	संलग्न है।

दिनांक :- 24/11/2017

स्थान :- पुरोला

अध्यापक अभियन्ता
(प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर)
सिंचाई विभाग खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

नाम:-

मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा

जाएगा)

11/11/17
-24

Assistant Engineer-III
Irrigation Construction Division
Purola (Uttarkashi)